पूर्ण बेंच

समक्ष प्रेम चंद जैन, डी. एस. तेवतिया और हरबंस लाल, न्यायाधीश

जे.एस. चोपड़ा और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ आदि- *उत्तरदाता।*

***सिविल रिट याचिका सं.* 1979 *का* 3363।**

8 मई, 1980।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955- विनियम 5. 6 (iii) और 7- भारत का संविधान *1950 -* अनुच्छेद *16, 318* और *320 - विनियम* 6 *का खंड (iii) जिसमें किसी सदस्य को अधिक्रमित करने के लिए समिति द्वारा कारणों को अग्रेषित करना अपेक्षित है।*

(ख) क्या आयोग के सभी सदस्यों द्वारा सूची पर विचार किए जाने की परिकल्पना की गई है- क्या आयोग के सभी सदस्यों द्वारा सूची पर विचार किए जाने की परिकल्पना की गई है- दो सदस्यों द्वारा बाद में अन्य सदस्यों द्वारा अनुमोदित निर्णय- इस प्रकार का निर्णय- क्या आयोग का निर्णय कहा जा सकता है- विनियम 5(4) *विनियम 7 के साथ पढ़ें- क्या चयन सूची को अंतिम रूप देने में मनमानी के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी जाती है।*

यह माना गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 6 के खंड (iii) के प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका हैं क्योंकि जहां चयन समिति ने इस तथ्य के कारण कोई कारण दिया था कि उसने न केवल संबंधित अधिकारियों के सापेक्ष 'सेवा रिकॉर्ड' को ध्यान में रखा था, लेकिन अन्य तथ्यों के अनुसार ऐसे अतिरिक्त व्यक्तियों, यदि कोई हों, को आयोग को अग्रेषित किए जाने की आवश्यकता थी, लेकिन जहां ऐसा कोई अतिरिक्त कारण नहीं दिया गया था, तो सूची में कही गई बातों से परे कारणों के माध्यम से आयोग को अवगत कराने की आवश्यकता नहीं थी। (पैरा 16)।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के प्रासंगिक प्रावधान आयोग को अपने आंतरिक कामकाज के विनियमन के लिए अपने स्वयं के नियम और विनियम और प्रक्रिया तैयार करने के लिए अधिकृत नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए ऐसा कोई स्पष्ट जनादेश आवश्यक नहीं था। आयोग की प्रकृति के प्रत्येक स्वायत्त निकाय के पास अपने कामकाज को विनियमित करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है, साथ ही अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए तरीकों और तरीकों को तैयार करना है जब तक कि यह कानून के किसी भी स्पष्ट प्रावधान के खिलाफ न हो। संबंधित संवैधानिक प्रावधान यह संकेत नहीं देते हैं कि आयोग को किसी निकाय में या परिसंचरण द्वारा बैठक करते समय अपना निर्णय लेना है। इन परिस्थितियों में, दिए गए निर्णय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आयोग को ऐसे निर्णय लेने के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार करने का विकल्प खुला है। परिसंचरण द्वारा निर्णय लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को ऐसी प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता है जो कानून में या सिद्धांत रूप में किसी भी संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ हो। इसके अलावा, भले ही दो सदस्यों द्वारा अनुमोदित चयन सूची को अन्य

सदस्यों द्वारा परिचालन द्वारा अनुमोदित किए जाने से पहले राज्य सरकार को भेज दिया जाए, उक्त सूची आयोग द्वारा संशोधन के अधीन है, यदि आयोग के अधिकांश सदस्य आयोग की ओर से निर्णय को अंतिम रूप देने वाले सदस्यों से अलग राय रखते हैं। इस प्रकार, परिचालित द्वारा लिया गया निर्णय विनियम 7 के अनुसार आयोग का निर्णय लिया जाएगा। (पैरा 7)।

यह माना गया कि प्रशासनिक विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियमन (4) का संशोधन चयन समिति की व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है। इसे प्रत्येक उम्मीदवार के 'सेवा रिकॉर्ड' तक सीमित रहना होगा और फिर यह तय करना होगा कि उनमें से कौन 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा', 'अच्छा' या 'अयोग्य' है। यदि किसी दिए गए मामले में

यह संबंधित अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड के बाहर की किसी भी चीज पर, उसके कारण बताए बिना या ऐसे कारण, यदि कोई हो, आयोग को प्रस्तुत किए बिना, विचार करता है, और यदि उम्मीदवारों का वर्गीकरण उनके 'सेवा रिकॉर्ड' के अनुरूप नहीं है, तो आयोग, जिसे उम्मीदवारों की योग्यता पर विचार करने के लिए खुद को 'सेवा रिकॉर्ड' तक सीमित रखना होगा, निश्चित रूप से चयन सूची को संशोधित करेगा और इसे उम्मीदवारों के तुलनात्मक सेवा रिकॉर्ड के अनुरूप लाएगा। जब ऐसा देखा जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि विनियमन 7 के साथ पढ़े गए उप-विनियमन (4) के प्रावधान उम्मीदवारों के सेवा रिकॉर्ड के आधार पर चयन सूची को अंतिम रूप देने में मनमानी के लिए कोई गुंजाइश छोड़ते हैं। (पैरा 17)।

माननीय न्यायमूर्ति डी एस तेवतिया और माननीय न्यायमूर्ति आई एस तिवाना की माननीय खंडपीठ द्वारा 8 फरवरी, 1980 को *मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को मामला भेजा गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेम चंद जयह, माननीय न्यायमूर्ति डी एस तेवतिया और माननीय न्यायमूर्ति श्री हरबंस लाल की वृहद पीठ ने अंततः 8 मई, 1980 को गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला किया।*

*भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को*निर्देश देते हुए सर्टिओरारी, मंडमस *या किसी अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश की रिट जारी की जाए:*

1. *मामले के पूर्ण रिकॉर्ड का उत्पादन करने के लिए;*
2. *अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची को कृपया सरकार के रिकार्ड से तलब किया जाए और जहां तक यह प्रतिवादी संख्या 12 से संबंधित हो, उसे शामिल किया जाए। 5 से 8. सूची एक गोपनीय दस्तावेज है और इसलिए इस माननीय न्यायालय में पेश करने के लिए याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है;*

(च) *प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए एक रिट जारी की जाए कि वे याचिकाकर्ताओं के दावों पर नियमों के प्रावधानों के अनुसार विचार करें;*

1. *यह घोषित किया जाए कि वर्ष* 1978 में तैयार और वर्ष *1979* में अंतिम रूप दी गई *चयन सूची से याचिकाकर्ताओं का बहिष्कार पूरी तरह से अवैध था;*
2. *चयन सूची के अनुसरण में, उत्तरदाता याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठ पदों से वापस कर रहे हैं और प्रतिवादी संख्या 10 को पदोन्नत करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। 5 से 8. यदि ऐसा होने दिया जाता है, तो याचिकाकर्ताओं को भारी और अपूरणीय क्षति होगी। जिस अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं ने उच्च पदों पर कार्य किया है, उसका लाभ पूरी तरह से खो जाएगा। इसलिए, यह न्याय के हित में है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई जाए। इसलिए, सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि रिट याचिका के निपटान तक, याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई जाए;*

3. *विनियम* 5 (4) के प्रावधानों को *संविधान के दायरे से बाहर घोषित किया जाए और रद्द किया जाए;*
4. *यह माननीय न्यायालय कोई अन्य आदेश भी पारित कर सकता है जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे और वेतन, वरिष्ठता आदि की प्रकृति में सभी परिणामी राहत प्रदान करे।* ;
5. *इस रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ताओं को दी जा सकती है।*

जे. एल. गुप्ता, एडवोकेट प्रदीप गुप्ता, एडवोकेट, *याचिकाकर्ता के लिए।* '

भूप सिंह, अतिरिक्त एजी (एच'), उत्तरदाताओं 3 और 4 के लिए।

एम. आर. अग्निहोत्री, वकील, *उत्तरदाता* 5 *से* 8 के लिए।

प्रतिवादी 1 और 2 *के लिए* कुलदीप सिंह, बार-एट-लॉ।

निर्णय

डी एस तेवतिया, न्यायाधीश (मौखिक))

1. क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 (इसके बाद 'प्रशासनिक विनियम' के रूप में संदर्भित) के विनियम 6 का खंड (iii) अनिवार्य है या चरित्र में निर्देशिका है और क्या संघ लोक सेवा आयोग (इसके बाद 'आयोग' के रूप में संदर्भित) के सभी सदस्यों को एक बैठक में चयन सूची पर विचार करना और अनुमोदित करना है, प्रशासनिक विनियमों के विनियम 5 के संदर्भ में चयन समिति द्वारा तैयार किए गए विनियम 7 के संदर्भ में, वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो तीन याचिकाकर्ताओं के उदाहरण पर इस रिट याचिका में निर्धारण के लिए पेश किए गए हैं, जो प्रासंगिक समय में, हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी) के मूल सदस्य थे, जैसा कि उत्तरदाता 5 से 8 थे।

2. याचिकाकर्ताओं का दावा, जो विवाद में नहीं है, यह है कि वे सेवा में उत्तरदाताओं 5 से 8 से वरिष्ठ थे। यह आरोप लगाया गया है कि प्रशासनिक विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, जो वर्तमान में देखा जाएगा, चयन समिति ने वर्ष 1977 के लिए विनियमन 5 के तहत सूची तैयार करते समय याचिकाकर्ताओं को 'बहुत अच्छा' के रूप में वर्गीकृत किया। आयोग ने याचिकाकर्ताओं के संबंध में सूची को मंजूरी दे दी और उनके नाम उत्तरदाताओं 5 से 8 के नामों के वरीयता में चयन सूची में डाल दिए गए, जिनके याचिकाकर्ताओं की तुलना में चयन सूची में शामिल होने का दावा बेहतर नहीं पाया गया। चूंकि इस प्रकार अंतिम रूप दी गई चयन सूची तब तक लागू रहती है जब तक इसकी समीक्षा या संशोधन नहीं किया जाता है और इसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा और संशोधन किया जाना होता है, इसलिए वर्ष 1977 में तैयार की गई सूची चयन समिति की समीक्षा के अधीन आई जिसकी 11 दिसम्बर, 1978 को बैठक हुई। उक्त समिति ने अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं के दावों पर विचार किया, साथ ही उत्तरदाताओं 5 से 8 पर भी विचार किया। इस समिति ने याचिकाकर्ताओं की वरीयता में उत्तरदाताओं 5 से 8 का चयन किया, हालांकि पिछले वर्ष के समय के बीच; आयोग द्वारा चयन सूची को अंतिम रूप दिया गया और 11 दिसंबर, 1978 को वर्ष 1978 के लिए चयन सूची की समीक्षा करने वाली चयन समिति की बैठक में,

याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1977-78 के लिए 'बहुत अच्छी' रिपोर्ट अर्जित की और उनका प्रदर्शन किसी भी तरह से खराब नहीं हुआ था, जबकि उत्तरदाताओं 5 से 8 ने अपनी पिछली स्थिति में किसी भी असाधारण तरीके से सुधार नहीं किया था ताकि उन्हें शामिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर उनकी प्राथमिकता सुनिश्चित की जा सके। चयन समिति द्वारा तैयार की गई आक्षेपित चयन सूची में। राज्य सरकार ने दिनांक 1 अगस्त, 1979 के पत्र में निहित अपनी टिप्पणियों में, जिसे उसने विनियम 6 के खंड (iv) के अनुसार आयोग को अगे्रषित किया था, यह पाया कि याचिकाकर्ताओं की अनदेखी करने के लिए चयन समिति के पास कोई वैध आधार नहीं था और आयोग से उक्त समिति की कार्रवाई को अनुमोदित न करने का आग्रह किया। राज्य सरकार की उक्त टिप्पणियों के बावजूद, अंत में यह आग्रह किया जाता है कि चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची पर आयोग की ओर से केवल दो सदस्यों द्वारा विचार किया गया और अनुमोदित किया गया, जिनमें से एक स्वयं चयन समिति का सदस्य था, जिसके परिणामस्वरूप आयोग के लगभग केवल एक सदस्य ने क्या किया। विनियम 7 के तहत, एक निकाय के रूप में पूरे आयोग को ऐसा करना आवश्यक था।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने का प्रयास करने से पहले, प्रशासनिक विनियमों को तैयार करने और प्रशासनिक विनियमों के संगत प्रावधानों पर ध्यान देने के लिए संदर्भ की सुविधा के कारण पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रांतीय सेवा के सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा (इसके बाद 'सेवा' के रूप में संदर्भित) में नियुक्ति के लिए पात्र हैं, जिसकी भर्ती भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) नामक नियमों द्वारा शासित होती है। नियम 4 में *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रावधान है कि सेवा में भर्ती राज्य सिविल सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा की जाएगी। नियम 8 में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर और आयोग के परामर्श से

ऐसे विनियमों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर राज्य सरकार और आयोग के साथ परामर्श करके राज्य सेवा के मूल सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा सेवा व्यक्तियों की भर्ती कर सकती है।

4. नियम 8 के प्रावधानों के अनुसरण में, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम ग प्रख्यापित किए गए थे। विनियम 2 (1) (सी) 'आयोग' को 'संघ लोक सेवा आयोग' के रूप में परिभाषित करता है। समिति के गठन से संबंधित विनियम 3 के संगत उपबंध निम्नलिखित शर्तों में हैं -

(1) अनुसूची के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट राज्य संवर्ग या संयुक्त संवर्ग के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें आयोग के अध्यक्ष होंगे या जहां अध्यक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है, आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले आयोग के कोई अन्य सदस्य और उक्त अनुसूची के कॉलम 3 की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अन्य सदस्य:

बशर्ते कि -

1. समिति का अध्यक्ष या आयोग के सदस्य के अलावा कोई अन्य सदस्य ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सेवा का सदस्य नहीं है;
2. केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से अनुसूची में संशोधन कर

सकती है।

1. आयोग का अध्यक्ष या सदस्य समिति की उन सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा जिनमें वह उपस्थित है।

2. आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के अलावा किसी अन्य सदस्य की अनुपस्थिति समिति की कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगी यदि समिति के आधे से अधिक सदस्यों ने इसकी बैठकों में भाग लिया था।

** **** ** **

विनियम 5, जो उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करने से संबंधित है, बार-बार संशोधन के अधीन रहा है और चूंकि असंशोधित प्रावधानों का याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों की ओर से दिए गए तर्क पर असर पड़ता है, इसलिए संशोधन से पहले और संशोधन के बाद दोनों का प्रासंगिक हिस्सा होगा।

नोटिस की आवश्यकता है। संशोधन से पहले, विनियम 5 निम्नलिखित शर्तों में था -

(1) प्रत्येक समिति साधारणतया एक वर्ष से अधिक के अंतराल पर बैठक नहीं करेगी और राज्य सिविल सेवा के ऐसे सदस्यों की सूची तैयार करेगी जो उनके द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त माने गए हैं। सूची में शामिल राज्य सिविल सेवा के सदस्यों की संख्या भर्ती नियमों के नियम 9 के तहत उनके लिए उपलब्ध पदों में सूची तैयार करने की तारीख से शुरू होने वाले बारह महीने की अवधि के दौरान प्रत्याशित मूल रिक्तियों की संख्या के दोगुने से अधिक नहीं होगी। या प्रत्येक राज्य या समूह ®एफ राज्यों की कैडर अनुसूची के आइटम 1 और 2 के खिलाफ दिखाए गए वरिष्ठ पदों का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

1. उक्त सूची में शामिल करने के लिए समिति राज्य सिविल सेवा में वरिष्ठता के क्रम में राज्य सिविल सेवा के सदस्यों के मामलों पर विचार करेगी जो उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट संख्या के कम से कम पांच गुना तक नहीं हैं:

बशर्ते कि, विचार के क्षेत्र में शामिल करने के लिए संख्या की गणना करते समय, उप-विनियमन (3) में निर्दिष्ट अधिकारियों की संख्या को बाहर रखा जाएगा:

परन्तु कोई समिति राज्य सिविल सेवा के किसी सदस्य के मामले पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक कि उस वर्ष की जनवरी की पहली तारीख को वह राज्य सिविल सेवा में मूल न हो और डिप्टी कलेक्टर के पद या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी अन्य पद या पदों पर कम से कम आठ वर्ष की निरंतर सेवा (चाहे वह कार्यवाहक हो या मूल) पूरी न कर ले।

2. समिति आमतौर पर राज्य सिविल सेवा के उन सदस्यों के मामलों पर विचार नहीं करेगी, जिन्होंने उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन 52 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, जिसमें इसकी बैठक होती है:

परन्तु राज्य सिविल सेवा का कोई सदस्य जिसका नाम समिति की बैठक की तारीख से ठीक पहले लागू प्रवर सूची में दिखाई देता है, पर विचार किया जाएगा।

नई सूची में शामिल करने के लिए, समिति द्वारा तैयार किया जाना है, भले ही वह

इस बीच 52 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो।

1. ऐसी सूची में शामिल करने के लिए चयन सभी मामलों में योग्यता और उपयुक्तता पर आधारित होगा:

बशर्ते कि जहां दो या दो से अधिक अधिकारियों की योग्यता समान पाई जाती है, वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा।

2. सूची में शामिल अधिकारियों के नाम राज्य सिविल सेवाओं में वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित किए जाएंगे:

बशर्ते कि कोई भी कनिष्ठ अधिकारी जो समिति की राय में असाधारण योग्यता और उपयुक्तता का है, उसे सूची में उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में उच्च स्थान सौंपा जा सकता है।

3. इस प्रकार तैयार की गई सूची की प्रत्येक वर्ष समीक्षा और संशोधन किया जाएगा।

4. यदि चयन, समीक्षा या संशोधन की प्रक्रिया में राज्य सिविल सेवा के किसी सदस्य को हटाने का प्रस्ताव है, तो समिति प्रस्तावित सुपरसेशन के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगी।

विनियम 5 के उप-विनियम (4) और (5) में संशोधन किया गया - दिनांक 3 जून, 1977 की अधिसूचना के माध्यम से और संशोधन के बाद यह इस प्रकार है:

5. चयन समिति पात्र अधिकारियों को उनके सेवा रिकॉर्ड के समग्र सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा', 'अच्छा' या 'अयोग्य' के रूप में वर्गीकृत करेगी।

6. सूची आवश्यक संख्या में नामों को शामिल करके तैयार की जाएगी, पहले उन अधिकारियों में से जिन्हें अंत में 'उत्कृष्ट' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, फिर 'बहुत अच्छा' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसके बाद 'अच्छे' के रूप में वर्गीकृत लोगों में से और प्रत्येक श्रेणी के भीतर नामों का क्रम राज्य सिविल सेवा में उनकी वरिष्ठता के क्रम में होगा।

दिनांक 3 जून, 1977 की अधिसूचना द्वारा विनियम 5 के उप-विनियमन (7) को हटा दिया गया था।

विनियम 6, जो आयोग के साथ परामर्श से संबंधित है, निम्नलिखित शब्दों में है -

1. विनियम 5 के अनुसार तैयार की गई यह सूची राज्य सरकार द्वारा आयोग को निम्नलिखित के साथ अग्रेषित की जाएगी-
1. सूची में शामिल राज्य सिविल सेवा के सभी सदस्यों के रिकॉर्ड;
2. राज्य सिविल सेवा के उन सभी सदस्यों के रिकॉर्ड जिन्हें सूची में की गई सिफारिशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है;
3. समिति द्वारा दर्ज किए गए कारणों के अनुसार> राज्य नागरिक सेवा के किसी भी सदस्य की वरिष्ठता को उजागर करता है; और
4. समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार की टिप्पणियां।

विनियम 6 के मुख्य न्यायाधीश (iii) को दिनांक 3 जून, 1979 की अधिसूचना द्वारा हटा दिया गया था।

1. प्रवर सूची को अंतिम रूप देने से संबंधित विनियम 7 के प्रासंगिक प्रावधान निम्नलिखित शर्तों में हैं:

2. (1) आयोग राज्य सरकार से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार सूची पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, उसका अनुमोदन करेगा।

1. यदि आयोग राज्य सरकार से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है, तो आयोग प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में राज्य सरकार को सूचित करेगा और राज्य सरकार की टिप्पणियों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखने के बाद, सूची को अंतिम रूप से ऐसे संशोधन के साथ अनुमोदित कर सकता है, यदि कोई हो, जैसा कि उसकी राय में, हो, न्यायपूर्ण और उचित बनो।

2. आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची राज्य सिविल सेवा के सदस्यों की चयन सूची बनाएगी।

3. चयन सूची आमतौर पर तब तक लागू रहेगी जब तक कि इसकी समीक्षा और संशोधन नहीं हो जाता, जो इसके उप-विनियमन (4) के तहत प्रभावी होता है।

विनियम 5, उप-विनियमन (1) के तहत अनुमोदित है या, जैसा भी मामला हो, अंततः उप-विनियमन (2) के तहत अनुमोदित किया गया है:

प्रदान किया गया * *** *

4s* *♦* ♦♦

परन्तु प्रवर सूची में शामिल राज्य सिविल सेवा के किसी सदस्य की ओर से कर्तव्यों के आचरण या पालन में गंभीर चूक की स्थिति में, राज्य सरकार के कहने पर किसी भी समय चयन सूची की विशेष समीक्षा की जा सकती है और आयोग, यदि ऐसा उचित लगता है, तो राज्य सिविल सेवा के ऐसे सदस्यों का नाम चयन सूची से हटा दें।

पक्षकार तथ्यों के भौतिक प्रश्नों पर मुद्दे पर नहीं हैं जैसे कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी 5 से 8 से वरिष्ठ थे, कि उत्तरदाताओं 5 से 8 के दावे के साथ तुलना के बाद याचिकाकर्ताओं के नाम वर्ष 1977 के लिए चयन सूची में शामिल किए गए थे, कि श्री एसएन गोयल को छोड़कर सभी याचिकाकर्ता, जिनकी ग्रेडिंग केवल 'अच्छी' थी, उन्होंने वर्ष 1977-78 के लिए 'बहुत अच्छी' रिपोर्टें अर्जित की थीं, कि संबंधित वर्ष के लिए चयन समिति ने उनके नाम चयन सूची से हटा दिए और इसके बजाय उत्तरदाताओं 5 से 8 का चयन किया, कि राज्य सरकार ने आयोग से चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची को अनुमोदित न करने का आग्रह किया, और आयोग के नौ सदस्यों में से केवल दो सदस्यों ने पहली बार में विचार किया और अनुमोदित किया। उक्त सूची विनियम 7 के अनुसार उसे अगे्रषित की गई थी और उक्त दो सदस्यों में से एक वह था जिसने चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी जिसने विनियम 5 के संदर्भ में चयन सूची तैयार की थी।

5. आयोग, प्रतिवादी संख्या 2, को अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि आयोग में एक अध्यक्ष और आठ शामिल हैं! सदस्यों को हर साल

हजारों मामलों (अनुशासनात्मक, पदोन्नति, पुष्टि, वरिष्ठता, भर्ती, चयन आदि) से निपटना पड़ता है और इसलिए, आयोग द्वारा एक बैठक में एक निकाय में एक साथ बैठना और प्रत्येक मामले पर व्यक्तिगत रूप से विचार करना अव्यवहारिक माना जाता था; और यह कि वर्ष 1926 में काम का मुकाबला करने के लिए आयोग की स्थापना के बाद से परिस्थितियों में, इसने कुछ प्रथाओं को अपनाया, जिसके अनुसार, कुछ प्रकार के मामलों में निर्णय हैं

इनके बाद लिए गए निर्णय सभी सदस्यों और सभापति द्वारा देखे जाते हैं लेकिन कुछ अन्य मामलों में निर्णय एक या अधिक सदस्यों या अध्यक्ष पर छोड़ दिए जाते हैं। जिन मामलों में आयोग की बैठकों में चर्चा के बिना निर्णय लिए जाते हैं, उन्हें आयोग को तीन अलग-अलग तरीकों से सूचित किया जाता है। ये मामले हैं:

1. रिकॉर्ड के लिए मामले;
2. सहमत व्यवसाय के लिए मामले; और
3. मामलों का उल्लेख करें।

6. रिकॉर्ड के लिए मामले वे मामले हैं जिनमें चयन द्वारा प्रत्येक भर्ती को अंतिम रूप देने के बाद आयोग की कार्यवाही में साक्षात्कार बोर्डों की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखा जाता है; सहमत कार्य के मामले वे हैं जिनमें अध्यक्ष सहित आयोग के दो या दो से अधिक सदस्य आयोग की ओर से निर्णय लेते हैं, ऐसे मामलों को आयोग को 'सहमत कार्य' के रूप में सूचित किया जाता है, और जिन मामलों में सचिव या अध्यक्ष का एक सदस्य आयोग की ओर से निर्णय लेता है, ऐसे मामलों को आयोग को 'उल्लेख मामलों' के रूप में सूचित किया जाता है - जिन मामलों को आयोग को विनियमन 7 के संदर्भ में लेना होता है, वे 'सहमत कार्य' की श्रेणी में आते हैं। ऐसे मामलों में सहमत कार्य के संबंध में पहले से उल्लिखित तरीके से निर्णय लिए जाने के बाद, इसी तरह के अन्य सूचीबद्ध मामलों के साथ लिया गया निर्णय आयोग के सभी सदस्यों को परिसंचरण द्वारा भेजा जाता है। 9 सितंबर, 1974 से पहले, आयोग द्वारा एक बैठक में अनुसमर्थन किया जाता था, लेकिन उस तारीख के बाद, अनुसमर्थन प्रत्येक सदस्य को परिचालित करके किया जाता है। कि वर्तमान मामले में अध्यक्ष और एक सदस्य के निर्णय को 7 नवंबर, 1979 को आयोग द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया था। आयोग द्वारा 9 सितम्बर, 1974 को लिया गया निर्णय, जिसे अतिरिक्त हलफनामे में आर.2/2 के रूप में संलग्न किया गया है, निम्नलिखित शर्तों में है -

> मौजूदा परंपरा के अनुसार, 'रिपोर्ट रिकॉर्डिंग', 'सहमत व्यवसाय' और 'उल्लेख' के लिए मामलों से संबंधित सूचियों को आयोग की बैठक में प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न वर्गों द्वारा भेजा जाता है। आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त मामलों को आयोग की बैठक के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है; इसके बजाय, ऐसे मामलों के निपटान को परिसंचरण के माध्यम से साप्ताहिक रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। भविष्य में, फाइलों के बिना उपरोक्त प्रकार के मामलों के लिए सूचियों की दो प्रतियां भेजी जानी चाहिए।

> हर सोमवार को सचिव सूचियों से संबंधित फाइलों को अनुभागों में रखा जाना चाहिए। सूची की एक प्रति सदस्यों/सभापति को परिचालित की जाएगी। परिसंचरण पूरा होने के बाद, संबंधित फाइलों पर उचित रिकॉर्ड का समर्थन करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पीए द्वारा सचिव को फाइलें मंगाई जाएंगी। सचिव के वरिष्ठ पी.ए. सूची की दूसरी प्रति रिकॉर्ड के लिए सेवा I अनुभाग को भेजेंगे। उपर्युक्त संशोधित प्रक्रिया के फलस्वरूप दिनांक 24 जून, 1971 के ओ एंड एम परिपत्र संख्या 10 (एफआई/12/70-ओएम एंड डब्ल्यूएस) में यथा निर्धारित 'मामलों का उल्लेख', 'सहमत व्यावसायिक मामले' और 'रिपोर्ट रिकॉर्डिंग मामलों' के लिए रजिस्टर के अंतिम कॉलम के शीर्षक को 'आयोग की बैठक की तारीख जिस पर रिपोर्ट की गई है' से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ऊपर बताई गई प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू होगी और सभी संबंधित द्वारा सावधानीपूर्वक इसका पालन किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं के वकील जे. एल. गुप्ता ने तर्क दिया है कि विनियम 7 में होने वाला 'आयोग' शब्द 'आयोग को उसकी संपूर्णता में' समझता है और एक या दो सदस्यों तक सीमित नहीं है और इसलिए, आयोग को समग्र रूप से उसे भेजी गई सूची और दो सदस्यों के निर्णय पर विचार करना और अनुमोदित करना था, जिन्होंने वास्तव में सूची पर विचार किया था और अनुमोदित किया था। किसी भी तरह से इसे आयोग का निर्णय नहीं माना जा सकता है। आयोग की ओर से दायर अतिरिक्त हलफनामे से निपटते हुए, श्री गुप्ता ने कहा कि अनुच्छेद 318 या 320 के प्रावधानों में से कोई भी आयोग को अपने कार्यों को करने के लिए अपने स्वयं के नियम और विनियम / प्रक्रिया तैयार करने के लिए अधिकृत नहीं करता है और इसलिए, एक बात के लिए, आयोग द्वारा अतिरिक्त हलफनामे में उल्लिखित प्रक्रिया को कानून की मंजूरी नहीं है और दूसरे के लिए, उक्त सूची को अंतिम रूप देने वाले दो सदस्यों के निर्णय को आयोग द्वारा प्रचलन द्वारा अनुमोदित किए जाने से पहले ही आक्षेपित चयन सूची राज्य सरकार को भेज दी गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य सरकार को भेजी गई चयन सूची ही वह थी जिसे आयोग द्वारा विचार और अनुमोदन के परिणामस्वरूप अंतिम रूप दिया गया था।

7.इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के प्रासंगिक प्रावधान आयोग को अपने नियम बनाने के लिए अधिकृत नहीं करते हैं।

और विनियम - इसके आंतरिक कामकाज के विनियमन के लिए प्रक्रिया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसा करने के लिए ऐसा कोई स्पष्ट जनादेश आवश्यक था। आयोग की प्रकृति के प्रत्येक स्वायत्त निकाय के पास अपने कामकाज को विनियमित करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है, साथ ही अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए तरीकों और तरीकों को तैयार करना है जब तक कि यह कानून के किसी भी स्पष्ट प्रावधान के खिलाफ न हो। संवैधानिक प्रावधानों से यह संकेत नहीं मिलता है कि आयोग को किसी निकाय में या परिसंचरण में बैठक करते समय अपना निर्णय लेना है। इन परिस्थितियों में, दिए गए निर्णय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आयोग को ऐसे निर्णय लेने के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार करने का विकल्प खुला है। गिवेन मामले में, हमें नहीं लगता कि परिसंचरण द्वारा निर्णय लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को ऐसा कहा जा सकता है जो कानून में या सिद्धांत रूप में किसी भी संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ होगा। इन परिस्थितियों में, विचाराधीन प्रवर सूची के संबंध में वर्तमान मामले में निर्णय विनियम 7 के अनुसार आयोग का निर्णय लिया जाएगा।

8.जहां तक इस विवाद का संबंध है कि जब प्रवर सूची राज्य सरकार को अगे्रषित की गई थी तो परिचालन द्वारा निर्णय पूरा नहीं किया गया था और इसलिए, वास्तव में, विचाराधीन प्रवर सूची को आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, यह देखा जा सकता है कि चीजों की प्रकृति में परिचालन द्वारा निर्णय को पूरा करने में समय लगता है और, इसलिए, इन परिस्थितियों में आयोग के प्रतिनियुक्त सदस्यों द्वारा अनुमोदित चयन सूची को काफी समय तक रोका जा सकता है और इसलिए, दो सदस्यों द्वारा अनुमोदित चयन सूची को आयोग द्वारा संशोधन के अधीन राज्य सरकार को भेज दिया जाता है, बशर्ते कि आयोग का बहुमत आयोग के लिए निर्णय को अंतिम रूप देने वाले सदस्यों से भिन्न दृष्टिकोण अपनाए। तथापि, इस तथ्य से कोई लाभ नहीं है कि यह निश्चित रूप से अधिक वांछनीय होगा कि आयोग के शेष सदस्य उन्हें परिचालित सूची पर विचार करें और निर्णय लें और यह वह सूची है जो आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप है जिसे जटिलता से बचने के लिए राज्य सरकार को भेजा जाता है।

9. अब श्री गुप्ता द्वारा आग्रह किए गए प्राथमिक तर्क पर आते हुए विनियम 6 के खंड (iii) में समिति के कारणों को अग्रेषित करने के संबंध में एक अधिदेश शामिल है, यह देखा जा सकता है कि 1978 के सिविल रिट नंबर 3336 में इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एक समान प्रश्न प्रस्तुत किया गया था *(बलदेव कपूर पी.सी.एस. संयुक्त प्रबंधक सतर्कता और सुरक्षा) का संघ*

भारत और अन्य (1), जिन्होंने इस विवाद को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि विनियम 6 का खंड (iii) निर्देशिका है, प्रकृति में है। जब वर्तमान रिट याचिकाएं इस न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं, जिसमें मैं और तिवाना शामिल थे, तो जे जे श्री गुप्ता ने कहा कि जब भारत संघ बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के नवीनतम फैसले के आलोक में देखा जाता है । *एच.पी. चोठिया और अन्य (2),* बलदेव कपूर के मामले (सुप्रा) में *डिवीजन बेंच के फैसले* पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी, जबकि भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक भर्ती) विनियम 1966 (इसके बाद वन विनियमन के रूप में संदर्भित) के विनियमन 5 (2) के प्रावधानों पर विचार करते हुए, जो उनके अनुसार, परी *मटेरिया* थे।प्रशासनिक विनियमों के विनियम 6(iii) में कहा गया है कि वन विनियमों के विनियम 5 का उक्त उप-विनियमन (2) प्रकृति में अनिवार्य है और यदि उक्त उप-विनियमन (2) में परिकल्पित कारणों को आयोग को अगे्रषित नहीं किया जाता है, तो वन विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियमन (3) के तहत

आयोग का निर्णय प्रभावित होगा।

10.याचिकाकर्ताओं के वकील श्री गुप्ता द्वारा दी गई दलील पर विचार करने से पहले, वन विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनका इस सवाल पर असर पड़ता है कि क्या *एचपी चोठिया और अन्य (सुप्रा) के मामले में निर्णय इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि* बलदेव कपूर के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ (सुप्रा) ने एक सही कानून निर्धारित नहीं किया था जब उसने कहा था कि प्रशासनिक विनियमों के विनियम 6 के खंड (iii) के प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका हैं.

1. वन विनियमों का विनियम 5 निम्नलिखित शर्तों में है:

1. (1) बोर्ड वरीयता क्रम में राज्य वन सेवा के ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करेगा जो विनियम 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और जिन्हें बोर्ड द्वारा सेवा के वरिष्ठ और कनिष्ठ वेतनमानों में 'पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त ठहराया जाता है।

1. सीडब्ल्यू 3336/78 पर 20 नवंबर, 1979 को निर्णय लिया गया।
2. एक।। आई.आर. 1978 एस.सी. 1214.

11. उप-विनियमन (1) के अनुसार तैयार की गई सूची को केंद्र सरकार द्वारा सलाह के लिए आयोग को भेजा जाएगा-

1. सूची में शामिल राज्य वन सेवा के सभी अधिकारियों के रिकॉर्ड;
2. राज्य वन सेवा के अन्य सभी पात्र अधिकारियों के रिकॉर्ड जिन्हें सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है, साथ ही सूची में शामिल नहीं किए जाने के लिए बोर्ड द्वारा दर्ज किए गए कारणों के साथ।

12.उत्तरदाताओं 5 से 8 की ओर से, यह तर्क दिया गया है कि उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करने से संबंधित वन विनियमों के विनियमन 5 के उप-विनियमन (1) के प्रावधान प्रशासनिक विनियमों के विनियमन 5 के संबंधित संशोधित उप-विनियमन (4) के समान नहीं हैं - अंतर यह है कि जबकि वन विनियमों के विनियमन 5 के उप-विनियमन (1) में किसी निश्चित उद्देश्य सामग्री का संकेत नहीं है जिसे लिया जाना था। प्रशासनिक विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (4) में किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को वरीयता देने के लिए उपयुक्त मानने पर विचार करते हुए किसी व्यक्तिपरक दृष्टिकोण के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई और स्पष्ट रूप से उस सामग्री को इंगित किया गया है जो चयन समिति के निर्णय में प्रवेश नहीं कर सकती है और प्रशासनिक विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियमन (4) में एक को दूसरे को प्राथमिकता देने के कारणों की परिकल्पना की गई है कि चयन समिति पात्र अधिकारियों को वर्गीकृत करेगी। 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा', 'अच्छा' या 'अयोग्य', जैसा भी मामला हो, उनके सेवा रिकॉर्ड के समग्र सापेक्ष मूल्यांकन पर। इसका अर्थ है कि चयन समिति को जिस सामग्री पर विचार करना है वह संबंधित अधिकारियों के सेवा रिकार्ड हैं और एक के सेवा रिकार्ड का आकलन करने के बाद वह अधिकारियों को उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा या अयोग्य घोषित करेगी। जब कोई चयन समिति किसी व्यक्ति को 'उत्कृष्ट' के रूप में वर्गीकृत करती है, तो इसका

मतलब है कि संबंधित अधिकारी, उसके सेवा रिकॉर्ड के कारण, 'उत्कृष्ट' है। वन विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियमन (1) के मामले में, ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसे इंगित किया जा सके और जिसे बोर्ड द्वारा निर्णय लेने के लिए ध्यान में रखा जाना है और जिसे आयोग यह देखने के लिए संदर्भित कर सकता है कि किसी अधिकारी को उपयुक्त या अनुपयुक्त ठहराने में बोर्ड का निर्णय अपेक्षित है या नहीं। ऐसे मामले में, जब तक कि बोर्ड ने अपनी अनुमति न दी

किसी विशेष अधिकारी को उपयुक्त या अनुपयुक्त मानने के कारणों के संबंध में आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करते समय अंधेरे में समूहीकृत होगा और उसके पास यह जांचने का कोई साधन नहीं होगा कि किसी अधिकारी को उपयुक्त या अनुपयुक्त के रूप में निर्धारित करने में बोर्ड के साथ क्या हुआ था। वन विनियम के विनियम 5 के उप-विनियमन (2) के खंड (ए) और (बी) के तहत भेजे गए पात्र अधिकारियों के रिकॉर्ड का संदर्भ आयोग को किसी भी बुद्धिमान स्थिति में नहीं रखेगा, क्योंकि भले ही अनुपयुक्त घोषित किए गए अधिकारी का रिकॉर्ड अच्छा पाया गया हो, आयोग यह कहने की स्थिति में नहीं होगा कि अधिकारी उपयुक्त था, • रिकॉर्ड के अलावा कुछ ऐसा हो सकता है जो बोर्ड को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में तौला हो कि विचाराधीन अधिकारी अनुपयुक्त था। ऐसी स्थिति के संदर्भ में ही उनके लॉर्डशिप ने वन विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियमन (2) के खंड (क) और खंड (ख) को चरित्र में अनिवार्य माना। तथापि, प्रशासनिक विनियमों के अंतर्गत चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची पर विचार करते समय आयोग के लिए ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती प्रतीत नहीं होती है।
इसके अलावा, आपको प्रशासनिक विनियमों के विनियम 5 और 6 के प्रासंगिक प्रावधानों के इतिहास को भी देखना होगा।.

13. दिनांक 3 जून, 7777 की अधिसूचना द्वारा, प्रशासनिक विनियमों के मौजूदा विनियम 5 और 7 को हटा दिया गया था और विनियमन 4 को पुनर्गठित किया गया था। प्रशासनिक विनियमों के विनियम 5 के मौजूदा उप-विनियमन (7) में समिति को अनिवार्य शर्तों में अपने कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता थी यदि यह सूची के चयन, समीक्षा या संशोधन की प्रक्रिया में राज्य सिविल सेवा के किसी सदस्य की वरिष्ठता का प्रस्ताव करता है। सवाल उठता है कि उप-विनियमन (7) को क्यों हटा दिया गया था। कारण स्पष्ट है। दिनांक 3 जून, 1977 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्रशासनिक विनियमों के विनियम 5 में संशोधन किए जाने से पहले, उप-विनियम (7) का उद्देश्य उस उप-विनियमन (4) में कार्य करना था, जैसा कि यह था, वन विनियमों के विनियम 5 के मौजूदा उप-विनियमन (1) के साथ लगभग मेल खाता था जिसमें यह इंगित करता था कि किसी व्यक्ति को उपयुक्त के रूप में निर्धारित करने के लिए चयन समिति द्वारा विचार की जाने वाली कोई सामग्री नहीं थी। या अनुपयुक्त। उक्त अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्रशासनिक विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियमन (4) के पुनर्निर्धारण ने उप-विनियमन (5) और उसके उप-विनियमन (7) को उस उप-विनियम (4) में निरर्थक बना दिया, जैसा कि पुनर्गठित किया गया है।

ऐसी सामग्री जिसे किसी अधिकारी की योग्यता का आकलन करने के लिए चयन समिति के विचार में प्रवेश करना था, लेकिन यह भी संकेत दिया कि मेरि; टी को 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा', 'अच्छा' या 'अयोग्य' के संदर्भ में व्यक्त किया जाएगा, और टी, 'उत्कृष्ट' को पहला स्थान मिलेगा, दूसरा स्थान 'बहुत अच्छा' द्वारा लिया जाएगा, तीसरा 'अच्छा' द्वारा लिया जाएगा, और संबंधित वर्गीकरण में यदि एक से अधिक अधिकारियों को 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा' और 'अच्छा' के रूप

में वर्गीकृत किया जाता है, तो उनमें से सबसे वरिष्ठ को दी गई श्रेणी में नंबर 1 पर रखा जाएगा। इस प्रकार प्रशासनिक विनियमों के विनियम 5 के संशोधित उप-विनियमन (4) के अनुसार तैयार की गई सूची स्वयं की बात करती है। उदाहरण के लिए: उदाहरण के लिए, 12 महीने की अवधि के दौरान दो मूल रिक्तियां प्रत्याशित थीं, जिनके बारे में चयन, सूची तैयार की जानी थी। प्रशासनिक विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियमन (1) को ध्यान में रखते हुए, चार व्यक्तियों को सूची में लाया जाना था और यदि उदाहरण के लिए, राज्य सिविल सेवा के 20 सदस्यों में से, जिनके मामलों पर वरिष्ठता के क्रम में प्रशासनिक विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियमन (2) के अनुसार विचार किया जाना है, दो अधिकारियों को 'उत्कृष्ट', 2 को 'बहुत अच्छा' और शेष को 'अच्छा' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, फिर उन दो, जो 'उत्कृष्ट' हैं, और दो, जिन्हें 'बहुत अच्छा' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को चयन सूची में रखा जाएगा, और जब दोनों को 'उत्कृष्ट' और 'बहुत अच्छा' के रूप में घोषित किया जाएगा, तो वे उन लोगों से जूनियर होंगे, जिन्हें केवल 'अच्छा' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि इस तरह तैयार की गई सूची में वरिष्ठ ों को कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर कोई यह पूछे कि वरिष्ठ ों को सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया, तो सूची में ही यह बताया जाएगा कि उन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनके सेवा रिकॉर्ड की तुलना उन लोगों के सेवा रिकॉर्ड से की गई, जिनके नाम प्रवर सूची में रखे गए थे, उन्हें 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छा' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में, प्रशासनिक विनियमों के विनियम 5 के मौजूदा उप-विनियमन 7 से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा क्योंकि इस उप-विनियमन का उद्देश्य जिस उद्देश्य को पूरा करना था, वह संशोधित उप-विनियमन (4) द्वारा ही पूरा किया गया था।

14.श्री जवाहर लाल गुप्ता ने फिर भी तर्क दिया कि यदि ऐसा मामला था, तो ऐसा क्यों था कि प्रशासनिक विनियमों के विनियमन 6 के खंड (iii!) को भी नहीं हटाया गया था, क्योंकि वह खंड भी निरर्थक हो गया था।.

15.हमें नहीं लगता कि गुप्ता की बातों में कोई दम है। वर्ष 1979 में एक बाद की अधिसूचना द्वारा, खंड (iii)

विनियम 6 को हटा दिया गया था, जिससे पता चलता है कि वास्तव में, उक्त प्रावधान विनियम 5 के उप-विनियमन (4) के संशोधन के बाद निरर्थक हो गया था और आईटीआई बीच में विनियमन 6 का हिस्सा बना रहा था, या तो इस कारण से, शायद, असावधानी से, यह संशोधन के लेखकों के ध्यान से बच गया या (अधिक धर्मार्थ दृष्टिकोण लेते हुए) कि उक्त प्रावधान को पहले संशोधन से बचा लिया गया था क्योंकि चयन Committ.ee यदि किसी अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड के अतिरिक्त किसी परिस्थिति के कारण कोई अतिरिक्त कारण दर्ज किया गया था, तो समिति को उस संबंध में अतिरिक्त कारण बताने से मना नहीं किया गया था और यदि उसने ऐसे अतिरिक्त कारण दिए थे, तो यह स्वाभाविक था कि इसे आयोग को अवगत कराया जाना आवश्यक था और खंड (iii) का उद्देश्य उक्त उद्देश्य को पूरा करना था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अस्तित्व ने पहले से बताए गए प्रकार के उपयोगी उद्देश्य को पूरा करने के बजाय केवल भ्रम और जटिलता पैदा करने का काम किया, इसलिए प्रशासनिक विनियमों के निर्माताओं ने प्रशासनिक विनियमों के विनियमन 6 के खंड (iii) को हटाकर भ्रम को दूर करने का काम किया।

16.यह इस तथ्य के कारण है कि जहां चयन समिति ने इस तथ्य के कारण कोई कारण दिया था

कि उसने न केवल संबंधित अधिकारियों के सापेक्ष 'सेवा रिकॉर्ड' को ध्यान में रखा था, बल्कि अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखा था, ऐसे अतिरिक्त कारण, यदि कोई हों, आयोग को अग्रेषित करने की आवश्यकता थी, लेकिन जहां ऐसा कोई अतिरिक्त कारण नहीं दिया गया था, फिर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में सूची में कही गई बातों के अलावा अन्य कारणों से आयोग को अवगत कराने की आवश्यकता होती, जैसा कि इस न्यायालय ने *बैदर के मामले* (सुप्रा) में कहा था, और सही ढंग से प्रशासनिक विनियमों के विनियम 6 के खंड (iii) के प्रावधानों को प्रकृति में निर्देशिका माना जा सकता था।

17. याचिकाकर्ताओं की ओर से संबंधित तर्क यह है कि प्रशासनिक विनियमों के विनियम 5 और 6 के प्रावधानों को जब हटा दिया जाता है, तो राज्य सिविल सेवा के किसी भी सदस्य को अधिक्रमित करने के लिए कारण बताने की आवश्यकता होती है, तो यह मनमानी की बाढ़ के द्वार खोल देगा, और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 16 में परिकल्पित उचित विचार के सिद्धांत का विध्वंसक होगा। याचिकाकर्ताओं के वकील जे. एल. गुप्ता ने आग्रह किया कि भले ही विनियमन 5 के उप-विनियमन (4) में स्पष्ट रूप से राज्य सिविल सेवा के किसी दिए गए सदस्य को दरकिनार करने के लिए कारण देने का प्रावधान नहीं है, इस तरह की आवश्यकता को नियमों में पढ़ा जाना चाहिए।
संविधान का अनुच्छेद 16 उन्होंने भारत संघ बनाम भारत संघ में की गई बेग, जे की निम्नलिखित टिप्पणियों से इस व्यापक प्रस्ताव को बनाए रखने की मांग की । *मोहन लाई कपूर और अन्य* (3), प्रशासनिक विनियमों के विनियम 7 के संदर्भ में चयन सूची को अंतिम रूप देते समय राज्य सिविल सेवा के एक मूल सदस्य की अधिक्रमण के संदर्भ में।:

> " .... इसलिए इस प्रश्न पर पूरी तरह से अपने लिए बोल रहा हूं।
> मैं यह कहना चाहता था कि यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया को अर्ध-न्यायिक नहीं माना जा सकता है और यह कि चुनिंदा सूचियों की तैयारी और अंतिम रूप देने के क्रम में अधिसत्रको सख्ती से और कानूनी रूप से दंडनीय नहीं माना जा सकता है ताकि संविधान के अनुच्छेद 311 को लागू किया जा सके। ऐसी स्थिति में न्यायसंगत और निष्पक्ष व्यवहार की न्यूनतम आवश्यकता यह होगी कि अधिकारी को सूचित किया जाए कि वह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इसके अनुमोदन से पहले प्रस्ताव के खिलाफ ऐसे अभ्यावेदन दे सके, जैसा कि वह करना चाहता है।...

बेग, जे. ने उपरोक्त टिप्पणियां करते समय न्यायालय के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित नहीं किया, जैसा कि उनकी निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट होगा:

> लेकिन, जैसा कि मैंने ऊपर देखा है, मुझे संदेह है कि क्या अधिकारियों पर, जैसा कि वे आज खड़े हैं, प्राकृतिक न्याय के दायरे का विस्तार उचित है। मेरे विद्वान भाई मैथ्यू द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का लाभ प्राप्त करने के बाद, जिसके लिए मेरे मन में सबसे बड़ा सम्मान है, मुझे नहीं लगता कि मैं हमारे सामने आने वाले मामलों में, प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में न्याय, निष्पक्षता और तर्क की अवधारणाओं के एक नए विस्तार के लिए अपील कर सकता हूं।

18.निश्चित रूप से, जहां सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने के लिए सावधान था, वहां इस न्यायालय

की ओर से भी विवेकाधिकार की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, हमारे विचार में, प्रशासनिक विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियमन (4) में संशोधन चयन समिति की व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है। यह प्रत्येक उम्मीदवार के 'सेवा रिकॉर्ड' तक सीमित है और फिर यह तय करता है कि कौन बाहर है।

1. 1973 (2) एस.सी.आर.

अमर बीर सिंह और अन्य *बनाम* महा ऋषि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक और अन्य (एसएस संधावालिया, सीजे)

उनमें से 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा', 'अच्छा' या 'अयोग्य' है। यदि किसी दिए गए मामले में, यह संबंधित अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड के बाहर की किसी भी बात को उसके कारण बताए बिना या आयोग को ऐसे कारण, यदि कोई हो, प्रस्तुत किए बिना विचार करता है, और यदि उम्मीदवारों का वर्गीकरण उनके 'सेवा रिकॉर्ड' के अनुरूप नहीं है, तो आयोग को उम्मीदवारों के गुणों पर विचार करने के लिए खुद को 'सेवा रिकॉर्ड' तक सीमित रखना होगा, निश्चित रूप से चयन सूची को संशोधित करेगा और इसे उम्मीदवारों के तुलनात्मक सेवा रिकॉर्ड के अनुरूप लाएगा। जब ऐसा देखा जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उप-विनियमन (4) का संशोधित प्रावधान, जिसे विनियमन 7 के साथ पढ़ा जाता है, उम्मीदवारों के 'सेवा रिकॉर्ड' के आधार पर चयन सूची को अंतिम रूप देने में मनमानी के लिए कोई गुंजाइश छोड़ता है।

(19) उपरोक्त कारणों के लिए, हम मानते हैं कि बलदेव *कपूर के मामले* (सुप्रा) में इस अदालत ने कानून को सही ढंग से निर्धारित किया था, और रिट में कोई दम नहीं पाया) याचिका को खारिज करते हैं, लेकिन मामले की परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।.

प्रेम चंद जैन, न्यायाधीश-मैं सहमत हूँ।

हरबंस लाल, न्यायाधीश—मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

लक्ष्य गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी , हरियाणा